<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला करौली(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - श्वेता भारद्वाज आर०जे०एस०
नियमित आप० प्र० सं० - 1082/2021
सी.आई.एस. नंबर - 1082/2021
एफ.आई.आर. नंबर - 229/2021 P.S. कोतवाली करौली
सरकार --अभियोगी

--बनाम

1. डैनी पुत्र दामोदर लाल आयु 32 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली
2. दामोदर लाल पुत्र ठंकारया आयु 60 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली
3. **प्रेमबाई पत्नी दामोदर लाल आयु 58 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली -- (फौत कार्यवाही ड्रोप दि.23.07.2026)**
4. करणसिंह पुत्र मूलसिंह आयु 23 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली थाना कोतवाली करौली

--अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार जैन अभियुक्तगण की ओर से।

Date of Offence	14-07-2021
Date of FIR	15-07-2021
Date of Charge Sheet	11-08-2021
Date of Framing of Charge	11-08-2021
Date of commencement of evidence	20-01-2024
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	27-01-2026
Argument heard on	27-07-2026
Date of the Judgment	27-07-2026

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक- 27.07.2026</u>

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.07.2021 को परिवादी रामचरण द्वारा पुलिस थाना, कोतवाली करौली पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह अपनी खरीदशुदा जायदाद में मकान निर्माण कर रहा है। मकान निर्माण में एक मंजिल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दूसरी मंजिल का ढॉचा तैयार कर उस पर छत डलवाने

की तैयारी हो चुकी है। लोहे का आधा जाल बिछ चुका है। दिनांक 14-7-2021 को समय करीब 10.00 बजे एक राय होकर दामोदर पुत्र ठंकारण, तोता डैनी, विष्णु, प्रेमबाई पत्नी दामोदर, हेमाबाई, संतरा बाई, हेमबाई, करन, मूला आ गये और उसकी छत पर चढकर लोहे के जाल को हटा दिया और उसके साथ व उसके परिवारजन के साथ मॉ बहन की गालियॉ देने लग गये। उसके पत्थर मारा जिससे पैर में चोट आई। वह अपनी जान बचाकर आया। मुलजिमान उसको मकान निर्माण नही करने दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसकी चोटों का मेडिकल करवाया जावें इत्यादि.....।

2- उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 229/2021 धारा 143, 341, 323, 504, 336 भा०दं०सं० के अपराधों में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 336, 34 भा०दं०सं० में आरोप-पत्र पेश न्यायालय किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- दौराने विचारण अभियुक्त प्रेमबाई के फौत होने पर दिनांक 23-07-2026 को उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई।

4- अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा०दं०सं० का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सारांश को सुन व समझ कर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः-

Rank	Name	Nature of evidence
P.W.1	रामचरण	परिवादी/ बयान धारा 161 Crpc
P.W.2	सतवीर	बयान धारा 161 Crpc/ नक्शा मौका
P.W.3	डॉ० राजेश	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.4	ईश्वर लाल	आई/ओ
P.W.5	दुर्गाप्रसाद	बयान धारा 161 Crpc/ नक्शा मौका

P.W.6	सियाराम	बयान धारा 161 Crpc

अभियोजन साक्ष्य सूची के शेष गवाह रामेश्वरदयाल को अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः-

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका घटना स्थल
4	प्रदर्श पी 4	चोट प्रतिवेदन रामचरण
5	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान दुर्गालाल

बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः-

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी 1	एफआईआर नंबर 230/2021
2	प्रदर्श डी 2	आरोप पत्र
3	प्रदर्श डी 3	नक्शा मौका घटना स्थल
4	प्रदर्श डी 4	चोट प्रतिवेदन डैनी

6- अभियुक्तगण के बयान मुलजिम लिये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नही करना जाहिर किया। जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

7- बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दंडित

किया जावें। इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावें।

8- पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ अवधारण का बिन्दू यह है कि-

"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.07.2021 को समय करीब 10.00 बजे परिवादी रामचरण का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब रामचरण के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियॉ कारित की तथा परिवादी रामचरण परिवादी पक्ष पर उतावलेपन/ उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन या व्यक्तिकक्षेम संकटापन्न किया?

यदि हॉ, तो अभियुक्तगण को दण्ड कि किस मात्रा से दंडित किया जावें?

9- पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य के अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण सहित उक्त अवधारणीय बिन्दू पर न्यायालय का सकारण विनिश्चय निम्न प्रकार है-

10- हस्तगत प्रकरण पी०ड० 1 परिवादी/मजरूब रामचरण द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त परिवादी रामचरण न्यायालय में बतौर साक्षी पी०ड० 1 परीक्षित हुआ है जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन किया है कि करीब तीन साल पहले सुबह 9-10 बजे उसके मकान के उपर दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था। तभी दामोदर, डैनी, करणसिंह, प्रेमबाई, संतरा, हेमाबाई एक राय होकर उसके घर पर आये और उसकी छत पर बने आरसीसी के जाल को फेंकने लगे और उसके साथ सभी ने लात घूसों से मारपीट की। मारपीट में उसके पैर व पीठ पर चोट आई। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 होना व उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

11. गवाह पी०ड० 02 सतवीर ने अपनी साक्ष्य में परिवादी रामचरण के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 14-7-2021 को सुबह 9-10 बजे वह उसकी दुकान पर बैठा था तभी रामचरण के घर की तरफ

से गाली गलौंज की आवाज सुनाई दी। तब वह रामचरण के घर पर पहुंचा तो देखा कि दामोदर, डैनी, करणसिंह, प्रेमबाई वगैरा ने रामचरण के मकान पर लगे आरसीसी के जाल को हटा दिया और रामचरण के उपर पत्थरबाजी व गाली गलौंज कर रहे थे। उसने बीच बचाव कराया था। गवाह ने उसके समक्ष पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाना व उस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

12. गवाह पी०ड० 6 सियाराम ने अपनी साक्ष्य में परिवादी रामचरण के बयानों की पुष्टि करते हुए कथन किया है कि दिनांक 14-7-2021 को रामचरण के साथ डैनी, दामोदर, प्रेमबाई और करणसिंह ने मारपीट की थी। वह वहां पर मौजूद था। उन लोगों ने मजदूरो के उपर पत्थर फेके थे। गवाह पी०ड० 5 दुर्गाप्रसाद पक्षद्रोही गवाह है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में रामचरण वगैरा के मकान की छत डल थी इस बात को लेकर डैनी वगैरा से झगडा होना बताया है। उक्त चारों ही गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत जिरह की गई है। जिरह के दौरान उक्त गवाहान के बयान परिवादी रामचरण का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ मारपीट की घटना व उसके पत्थर से चोट कारित करने बाबत अखण्डनीय रहे हैं। गवाह पी०ड० 3 डॉ० राजेश, जो कि चिकित्सकीय साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 16-7-2021 को सामान्य चिकित्सालय करौली में मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत होना तथा उस दिन मजरूब रामचरण के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 तैयार किया जाना तथा मजरूब के राईट एंकल जोईंट पर सूजन व दर्द तथा पेट में दर्द बताया जाना कथन किया है व मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 होना तथा उस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है, जिससे मजरूब रामचरण के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि मौखिक एवं दस्तावेजी चिकित्सकीय साक्ष्य से होती है। गवाह पी०ड० 4 ईश्वर लाल प्रकरण का आई.ओ. है, जिसने प्रकरण संख्या 229/2021 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर गवाहान के बयान लेना, नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 बनाया जाना, मजरूब का चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली करना व अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा अपराध अन्तर्गत धारा 341,323,336,34 भा०दं०सं० में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ को पेश करना व एसएचओ रामेश्वरदयाल द्वारा चार्जशीट किता करना व उस पर अंकित एसएचओ के हस्ताक्षरों को पहचानना बताया है। इस प्रकार आई.ओ. ने अपने द्वारा

किए गए अनुसंधान की पुष्टि की गयी है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 के गवाहान पी०ड० 2 सतवीर व पी०ड० 5 दुर्गाप्रसाद द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 की पुष्टि की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी रामचरण का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ लात घूसों से मारपीट कर उसके पत्थर से चोट मारकर मानवजीवन का व्यक्तिकक्षेम संकटापन्न करने का तथ्य सन्देह से परे साबित है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर आई उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मुलजिम के विरूद्ध पी०ड० 1 परिवादी रामचरण द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से मजरूब रामचरण के शरीर पर कारित चोटों की पुष्टि होती है व आई.ओ. की साक्ष्य से भी उक्त घटना घटित होना साबित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण परिवादी रामचरण का स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ लात घूसों/ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियॉ कारित करने व उसका पत्थर से चोट मारकर मानवजीवन का व्यक्तिकक्षेम संकटापन्न करने का तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा०दं०सं० के आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

14. अतः अभियुक्तगण- (1) डैनी पुत्र दामोदर लाल आयु 32 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली (2) दामोदर लाल पुत्र उंकारया आयु 60 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली व (3) करणसिंह पुत्र मूलसिंह आयु 23 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली थाना कोतवाली करौली को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा०दं०सं० के आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हाजरी बाबत जमानत मुचलके एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(श्वेता भारद्वाज)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

15. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन रहा है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण प्रकरण में काफी लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। पूर्व सजायाप्ता व आपराधिक प्रवृति के नही हैं। अतः परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावें। अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोध किया। सुना गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण प्रकरण में करीब 05 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण के पूर्व सजायाप्ता या आपराधिक प्रवृत्ति का होने संबंधी कोई रिकॉर्ड भी अभिलेख पर नही है। अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में परीविक्षा का लाभ प्राप्त नही करने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः प्रकरण के तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

16. अतः अभियुक्तगण- (1) डैनी पुत्र दामोदर लाल आयु 32 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली (2) दामोदर लाल पुत्र ठंकारया आयु 60 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली व (3) करणसिंह पुत्र मूलसिंह आयु 23 साल निवासी हिण्डौन रोड चुंगी मासलपुर मोड करौली थाना कोतवाली करौली को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 34 भा०दं०सं० के आरोपो में दोषसिद्ध घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप तत्काल कारावास की सजा से दंडित ना कर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त पृथक-पृथक एक-एक वर्ष की अवधि के लिए सदव्यवहार एवं परिशांति बनाये रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नही करने तथा न्यायालय द्वारा सजा भुगतने हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित न्यायालय होने की शर्त बाबत दस- दस हजार रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र तथा इसी कदर राशि की एक-एक जमानत न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करा देवे तो अभियुक्तगण को परीविक्षा पर रिहा कर दिया जावें। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक-एक हजार रूपये बतौर अभियोजन व्यय आरोपित किये जाते हैं।

(श्वेता भारद्वाज)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

17. निर्णय/आदेश आज दिनांक 27-07-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्वेता भारद्वाज)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली